प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर ....
प्र0इ0रि0 सं. ......212/2023 दिनांक. ....5/8/2023........

2. (I) अधिनियम ...भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा (संशोधित) 2018 धारायें. 7,7ए
(II) अधिनियम .भा0दं0सं0 .. धारायें 120 बी
(III) 'अधिनियम .... धारायें ....
(IV) 'अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....95 समय .8:00 PM
(ब) अपराध घटने की दिनांक 03.08.2023 समय 11.20 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक समय

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– 1–ट्रांसपोट नगर पुलिस थाना जयपुर के पास गुरूद्वारा अग्रवाल टायर्स जयपुर
2–सार्वजनिक सुभाष पार्क , होटल पार्क रिजेन्ट के पास लक्ष्मण नगर जन पथ श्याम नगर जयपुर।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–1–उत्तर दूरी लगभग 5 किलोमीटर 2–बजानिब पश्चिम दूरी 10 किलोमीटर

(ब) 'पता ....बीट संख्या........................जयरामदेही सं................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री किशोर कुमार
(ब) पिता/पति का नाम श्री चतुर मल
(स) जन्म तिथि/वर्ष 35 वर्ष................................
(द) राष्ट्रीयता भारतीय..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय –प्राईवेट कार्य
(ल) पता निवासी प्लाट नम्बर 10,जयसिंहपुरा खोर दिल्ली रोड जयपुर

<u>ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –</u>

1– सुश्री अंकिता माथुर पुत्री श्री चन्द्रशेखर माथुर उम्र 35 साल निवासी मकान नम्बर 138,लक्ष्मण कॉलोनी जनपथ श्यामनगर पुलिस थाना श्यामनगर जयपुर हाल आबकारी निरीक्षक II ,जयपुर पूर्व आबकारी विभाग जयपुर।

2–श्री असलम पुत्र श्री अनवर जाति कलाल उम्र 34 साल निवासी डूंडलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल किरायेदार प्लाट नम्बर 901 रामनगर पुलिस थाना भट्टा बस्ती जयपुर।

3– श्री मोनू अली पुत्र श्री सिराजुदीन जाति कलाल उम्र 32 साल निवासी डूडलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल निवासी प्लाट नम्बर 36 पर्वतीय कॉलोनी शास्त्रीनगर जयपुर ।(प्राईवेट व्यक्ति)

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...........कोई नहीं...........

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य 300000/–रूपयें।

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 28.07.2023 को परिवादी श्री किशोर कुमार पुत्र श्री चतुरमल जाति सिंधी उम्र 35 वर्ष निवासी प्लाट नम्बर 10,जयसिंहपुरा खोर दिल्ली रोड जयपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.यू.प्रथम जयपुर के समक्ष इस आशय कि

प्रस्तुत की गयी कि सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,एस.यू.प्रथम एसीबी जयपुर। विषय आबकारी सर्किल ऑफिसर श्रीमती अंकिता माथुर द्वारा रिश्वत मांगने व नाजायज परेशान करने के सम्बन्ध में।महोदय आबकारी विभाग द्वारा एक शराब दुकान जो कि पाली के ढाबा के पास ट्रांसपोर्ट नगर पर स्थित है। उक्त दुकान श्री भागचंद शाहू को आवंटित हुयी थी जिसका दिनांक 08.02.2023 को निधन होने पर उनकी पत्नि श्रीमती नम्रता देवी शाहू द्वारा उक्त दुकान का ईकरारनामा मेरे भाई श्री गोविन्द के नाम पर दिया गया था जिस पर मैं किशोर कुमार उक्त दुकान की देखरेख संचालन करता हूँ उक्त दुकान की सर्किल ऑफिसर आबकारी विभाग की श्रीमती अंकिता माथुर है वह आये दिन दुकान पर आकर चैंकिग के बाहाने नाजायज परेशान करती है। वह कहती है मेरे एरिया में दुकान बिना रोक टॉक के चलानी है तो मुझे 1000000/–रूपये (दस लाख रूपये) दो व बिना रोक टोक के दुकान चलाओ ।यह दुकान मैने विभाग में मैने सिफारिश करके दिलवायी है व दुकान की 1000000/–रूपये की रिश्वत के तौर पर मांग रही है।मेरी व मेरे भाई गोविन्द की श्रीमती अंकिता माथुर से कोई रंजिश नही है ना ही कोई उधार का लेनदेन शेष है ना ही कोई उधार का लेनदेन शेष है ना आबकारी सर्किल ऑफिसर श्रीमती अंकिता माथुर को रिश्वत नही देने चाहता रिश्वत देते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ कृपया कानूनी कार्यवाही करे।एसडी प्रार्थी किशोर पुत्र श्री चतुर मल दिनांक 28.07.2023 मोबाईल नम्बर 8619364770

उक्त प्रार्थना पत्र पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही किये जाने का पृष्ठाकन कर सुपुर्द की जाने पर परिवादी से दरियाफ्त की जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यो की ताईद की गयी। दिनांक 31.08.2023 को परिवादी श्री किशोर कुमार से आरोपियॉ सुश्री अंकिता माथुर का रिश्वत राशि मांग का आमने सामने सत्यापन करवाया गया। दिनांक 31.07.2023 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाने पर श्रीमती अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक जयपुर पूर्व द्वारा परिवादी से आमने सामने हुयी वार्ता में पूर्व में मांगी गयी 10 लाख रूपये की रिश्वत राशि के अनुशरण में 8 लाख रूपये देने की सहमति दी गयी तथा सुश्री अंकिता माथुर द्वारा नेगोशियसन नहीं करने के लिये कहॉ गया सुश्री अंकिता माथुर को परिवादी ने उनकी मांग के अनुसार टुकडो में किश्त के रूप में रिश्वत राशि देने के लिये कहॉ तो सुश्री अंकिता माथुर ने पूरी रिश्वत राशि की मांग की गयी व लेकिन परिवादी द्वारा प्रार्थना करने प्रथम किश्त के 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि देने के लिये कहॉ तो सुश्री अंकिता माथुर ने उक्त राशि दिनांक 01.08. 2023 को ही लेकर बुलाया गया है।

दिनांक 01.08.2023 को गवाहान के समक्ष रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की रूपान्तरण वार्ता तैयार की गयी। आरोपियॉ को दी जाने वाली रिश्वत राशि परिवादी द्वारा 3 लाख रूपये प्रस्तुत किये जाने पर विस्तृत फर्द पेशकशी व दृष्टान्त तैयार की गयी।

परिवादी किशोर कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपीयां अंकिता माथुर अधिकतर समय शाम 7–8 बजे ही राशि का कलेक्शन करती है वह मेरे पास भी उसी समय रिश्वत लेगी या कॉल लगाकर पूछ लेता हूँ कि रिश्वत कहां पर लेगी या किसको भेजेगी। इसके पश्चात परिवादी श्री किशोर कुमार ने अपने मोबाईल नम्बर 8619364770 से आरोपीयां के मोबाईल नम्बर 9001434259 पर लाउड स्पीकर ऑन कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर व्हाट्सअप कॉल करवायी गयी जिसे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड कर संरक्षित किया गया। वार्ता मे आरोपीयां ने परिवादी से कहा कि में अभी ऑफिस मे ही हूँ, मैं आ जाऊंगी तब आप किसी को भेज देना मैं लेट ही आउंगी। तत्पश्चात परिवादी द्वारा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष बंद कर अपने पास रखा। दिनांक 01.08.2023 को आरोपियॉ द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त नही करने से कार्यालय की अलमारी में नियमानुसार सुरक्षित रखी गयी।

परिवादी श्री किशोर कुमार उपस्थित कार्यालय आया व मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज 12.53 पीएम पर अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक को उसके मोबाईल नं. 9001434259 पर वाट्सअप कॉल किया था, लेकिन उसने नही उठाया। समय करीब 4.57 पीएम पर परिवादी ने बताया कि उसके पास अंकित माथुर के चार वाट्सअप कॉल आये जिसको उसने उठाया नही। इसके बाद उपस्थित परिवादी के पास समय करीब 4.58 पीएम पर आरोपिया का वाट्सअप कॉल आया व परिवादी ने कॉल अटेण्ड किया, आरोपिया ने परिवादी को रिश्वत राशि लेकर आने को कहा। समय करीब 04.58 पर मोनू नाम के व्यक्ति का कॉल 9783427000 से आया जिसे परिवादी ने उठाया नही

और फिर दुबारा समय करीब 05.00 पीएम पर मोनू नामक व्यक्ति का वाट्सअप कॉल आया जिसे परिवादी ने उठाया नही। समय करीब 05.03 पीएम पर अंकिता माथुर के परिवादी के फोन पर 06 वाट्सअप कॉल आये जिसे परिवादी ने नही उठाया। समय करीब 05.04 पीएम पर परिवादी ने अंकिता माथुर को कॉल किया व रिश्वत राशि देने के लिए समय मांगा। फिर समय 05.06 पीएम पर मोनू नामक व्यक्ति के मोबाईल नं. 9783427000 से परिवादी के पास फोन आया और परिवादी ने रिश्वत राशि देने के लिए समय मांगा। समय करीब 05.09 पीएम पर आरोपिया अंकिता माथुर का परिवादी के मोबाईल नम्बर 8619364770 पर वाट्सअप कॉल आया जिस पर परिवादी के फोन का लाउड स्पीकर ऑन करवाकर विभाग का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर वार्ता को रिकॉर्ड किया। दिनांक 03.02.2023 को आरोपिया सुश्री अंकिता माथुर द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि 3 लाख रूपये अपने मध्यस्थ श्री मोनू अली व श्री असलम को भेजने पर रिश्वत राशि परिवादी को सुपुर्द की गयी। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्टाफ मय गवाहान मय सरकारी वाहन मय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ मय सरकारी वाहन मय परिवादी की स्कूटी को रवाना कर रवाना होकर ट्रासपोर्ट नगर जयपुर पुलिस थाना के पास गुरूद्वारा मोड से पहले अग्रवाल टायर से पहले पहुँचकर इसके पश्चात ट्रेप का जाल बिछाया गया।

दिनांक 03.08.2023 को समय 5.40 पीएम पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान के रवाना होकर परिवादी श्री किशोर कुमार के पास पहुँचे जहॉ पर परिवादी एक सफेद रंग की ब्रिजा कार नम्बर आरजे 45 सीएफ 3972 मे खलासी साईड की तरफ रिश्वत राशि का पैकेट देकर वार्तालाप कर रहा था। परिवादी से मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त वॉईस रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त कार मे बैठे हुये व्यक्तियों के बारे में परिवादी श्री किशोर कुमार से पूछा तो परिवादी ने बताया कि "उक्त ब्रिजा कार की चालक सीट पर बैठे हुये व्यक्ति ने मेरे से सुश्री अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक के कहने पर अपने बाये हाथ से रिश्वत राशि 3 लाख रूपये थैली में प्राप्त कर गड्डीया गिनकर अपनी कार में हैण्ड ब्रेक के पास रख लिये है।" उक्त दोनो व्यक्तियों को कार सहित डिटेन कर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना विभागीय परिचय पत्र दिखाते हुये अपना व हमराहियान् का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत करवाया व चालक सीट पर बैठे हुये व्यक्ति का नाम पता पूछा तो एक आरोपी ने अपना श्री मोनू अली पुत्र श्री सिराजुदीन जाति कलाल उम्र 32 साल निवासी ग्राम डूंडलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल प्लॉट नम्बर 36 पर्वतीय कॉलोनी शास्त्रीनगर जयपुर व खलासी साईड की तरफ बैठे हुये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री असलम पुत्र श्री अनवर जाति कलाल उम्र 34 साल निवासी ग्राम डूंगलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल मकान नम्बर 901,रामनगर शास्त्रीनगर जयपुर होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री किशोर कुमार की और ईशारा कर आरोपी श्री मोनू अली से पूछा कि क्या आपने अभी–अभी अपने बाये हाथ से सुश्री अंकिता माथुर के कहने पर परिवादी श्री किशोर कुमार से 300000/–रूपये की रिश्वत राशि एक थैली में प्राप्त कर अपने दोनो हाथो से गिनकर ब्रिजा कार नम्बर आरजे 45 सीएफ 3972 के हैण्ड ब्रेक के पास में रखी है ? इस पर आरोपी श्री मोनू अली ने बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है, मैं श्री किशोर कुमार को नहीं जानता हूँ तथा ना ही कभी मिला हूँ। मैं भी शराब का ठेकेदार हूँ तथा मेरे दो ठेके बायोलॉजीकल पार्क व रिको औधोगिक एरियॉ में चल रहे है। मैं व मेरे अंकल का लडका आज दिनांक 03.08.2023 को सुश्री अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक के पास नांगल सुसावतान् में गोदाम के सिलसिले में मिलने के लिये उनके कार्यालय आबकारी विभाग अरण्य भवन झालाना डूगरी जयपुर में पास गये थे। सुश्री अंकिता माथुर द्वारा बताया गया कि मेरा कोई एक पार्सल/पैकिट पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर के सामने पैट्रोल पम्प वाली गली से ठेकेदार श्री किशोर कुमार से लेना है तथा सुश्री अंकिता माथुर ने किसी व्यक्ति को फोन कर पार्सल देने के लिये कहॉ था। मुझे यह पता नहीं था कि किस बात का पार्सल देगा तथा पार्सल में क्या है उक्त बात की जानकारी श्री असलम को भी थी। मै व श्री असलम उक्त बताये स्थान पर उक्त ब्रिजा कार से पहुँचे तथा उक्त व्यक्ति ने

कॉल कर मेरे से पार्सल व स्थान के बारे में पहुँचा तो मैं पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर से थोडा आगे आकर गुरूद्वारा के पास मेरी ब्रीजा कार से रूक गया जहा पर एक टायर की दुकान थी। एक व्यक्ति जो टी शर्ट व पेन्ट पहने हुये आया जिसने मेरे से नाम पूछा व सुश्री अंकिता माथुर से हुयी बातचीत के सम्बन्ध में 3 लाख रूपये की थैली मुझे सुपुर्द की गयी। मेरे द्वारा उक्त थैली को प्राप्त कर गाडी के हैण्ड ब्रेक के पास रख लिये गये, इतने में आप लोग आ गये । मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है। इस पर परिवादी श्री किशोर कुमार ने बताया कि "श्री मोनू अली झूठ बोल रहे है सुश्री अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक द्वारा एक शराब की दुकान पाली के ढाबा के पास ट्रांसपोर्ट नगर पर स्थित है। उक्त दुकान श्री भागचंद शाहू को आवंटित हुयी थी जिसका दिनांक 08.02.2023 को निधन होने पर उनकी पत्नि श्रीमती नम्रता देवी शाहू द्वारा उक्त दुकान का ईकरारनामा मेरे भाई श्री गोविन्द के नाम पर दिया गया था जिस पर मैं उक्त दुकान की देखरेख संचालन करता हूँ उक्त दुकान की सर्किल ऑफिसर आबकारी विभाग की श्रीमती अंकिता माथुर है वह आये दिन दुकान पर आकर चैंकिग के बाहाने नाजायज परेशान करती है। वह कहती है मेरे एरिया में दुकान बिना रोक टॉक के चलानी है तो मुझे 10 लाख रूपये दो व बिना रोक टोक के दुकान चलाओ।

दिनांक 31.07.2023 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाने पर श्रीमती अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक जयपुर पूर्व द्वारा मेरे से आमने सामने हुयी वार्ता में पूर्व में मांगी गयी 10 लाख रूपये की रिश्वत राशि के अनुशरण में 8 लाख रूपये देने की सहमति दी गयी तथा सुश्री अंकिता माथुर द्वारा नेगोशियसन नहीं करने के लिये कहॉ गया, सुश्री अंकिता माथुर को मैने उनकी मांग के अनुसार टुकडो में किश्त के रूप में रिश्वत राशि देने के लिये कहॉ तो सुश्री अंकिता माथुर द्वारा पूरी रिश्वत राशि की मांग की गयी व लेकिन मेरे द्वारा प्रार्थना करने प्रथम किश्त के 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि देने के लिये कहॉ तो सुश्री अंकिता माथुर ने उक्त राशि दिनांक 01.08.2023 को लेकर बुलाया गया है तथा दूसरी किश्त के 5 लाख रूपये भी जल्दी देने के लिये कहॉ गया। सुश्री अंकिता माथुर ने मेरे से कहॉ कि किसने कहॉ कि 8 लाख रूपये में डील पक्की हो गयी है नेगोशियसन मत करो। इसके पश्चात मेरे द्वारा किराये पर चलाये जा रहे ढाबे को लेकर 30 हजार रूपये प्रतिमाह बन्धी की वार्ता भी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुयी। सुश्री अंकिता माथुर उक्त राशि स्वयं नहीं लेकर किसी अन्य को दिलवाने के बारे में बताया था। मैने सुश्री अंकिता माथुर को देने के लिये 3 लाख रूपये आपको प्रस्तुत कर दिये थे। लेकिन अंकिता माथुर द्वारा दिनांक 01.08.2023 को उक्त रिश्वत राशि नही ली गयी।

आज दिनांक 03.08.2023 को परिवादी कार्यालय उपस्थित आया व बताया कि आज 12.53 पीएम पर अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक को मेरे मोबाईल नम्बर 8619364770 से सुश्री अंकिता माथुर को उसके मोबाईल नं. 9001434259 पर वाट्सअप कॉल किया था, लेकिन उसने नही उठाया। समय करीब 4.57 पीएम पर मेरे पास अंकित माथुर के चार वाट्सअप कॉल आये जिसको मैने उठाया नही। इसके बाद मेरे पास समय करीब 4.58 पीएम पर अंकिता माथुर का वाट्सअप कॉल आया व मैने कॉल अटेण्ड किया, अंकिता माथुर ने मुझे रिश्वत राशि लेकर आने को कहा। समय करीब 04.58 पर मोनू नाम के व्यक्ति का कॉल मो. न. 9783427000 से आया जिसे मैने उठाया नही और फिर दुबारा समय करीब 05.00 पीएम पर मोनू नामक व्यक्ति का वाट्सअप कॉल आया जिसे मैने उठाया नही। समय करीब 05.03 पीएम पर अंकिता माथुर के मेरे फोन पर 06 वाट्सअप कॉल आये जिसे परिवादी ने नही उठाया। समय करीब 05.04 पीएम पर मेने अंकिता माथुर को कॉल किया व रिश्वत राशि देने के लिए समय मांगा। फिर समय 05.06 पीएम पर मोनू नामक व्यक्ति के मोबाईल नं. 9783427000 से मेरे पास फोन आया और मेने रिश्वत राशि देने के लिए समय मांगा। समय करीब 05.09 पीएम पर अंकिता माथुर का मेरे मोबाईल नम्बर 8619364770 पर वाट्सअप कॉल आया जिसे मेरे फोन का लाउड स्पीकर ऑन करवाकर विभाग का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर वार्ता को रिकॉर्ड किया। आज दिनांक 03.08.2023 को सुश्री अंकिता माथुर ने जरिये वाट्सएप कॉल कर कहॉ कि आपकी दुकान पर किसी को भेजा है उसको पार्सल दे देना। इतने मे आपके पास आकर आपको

उक्त बात बताई गयी। मेरी व अंकिता माथुर के मध्य वाट्सएप पर हुयी वार्ताओ को आप द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तथा सुश्री अंकिता माथुर द्वारा श्री मोनू अली के नम्बर वाट्सएप किये जाने पर मेरे द्वारा जरिये वाट्सएप वार्ता की जाने पर श्री मोनू अली को सुश्री अंकिता माथुर के 3 लाख रूपये पार्सल रिश्वत के बारे में बताया गया तथा श्री मोनू अली द्वारा अपने बाये हाथ से रिश्वत राशि प्राप्त कर गिनकर अपने पास रख ली गयी। इतने में आप लोग आ गये।" इसके बाद ब्रीजा कार मे सवार दोनो व्यक्ति मोनू अली व श्री असलम को कार से उतरवाकर पास ही स्थित अग्रवाल टायर्स की दुकान पर ले जाकर वहां श्री मोनू अली द्वारा परिवादी श्री किशोर कुमार से रिश्वत राशि 3 लाख रूपये मध्यस्थ के तौर पर प्राप्त किये जाने से मन् पुलिस निरीक्षक ने हमरा जाप्ते मे से साफ पानी मंगवाकर स्वतंत्र गवाहान् के समक्ष ट्रेप बॉक्स मे से दो साफ कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर कांच के गिलास मे पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट की दो चम्मच डालकर मिश्रण तैयार कर उपस्थित गवाहान्, परिवादी व हमराहियान को दिखाया तो रंगहीन होना बताया व स्वीकार किया। उक्त एक गिलास मे श्री मोनू अली के दाहिने हाथ के अंगूठे व अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया, जिसको दो कांच की सीसीयों मे आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क RH–1, RH–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया व इसी प्रकार दूसरे कांच के पानी के गिलास मे उक्त प्रकिया अपनाई जाकर श्री मोनू अली के बाये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को गिलास मे डुबोकर धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो कांच की सीसीयों में आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क LH–1, LH–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया।

आरोपी श्री मोनू अली मध्यस्थ प्राईवेट व्यक्ति द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर ब्रिजा कार नम्बर आरजे 45 सीएफ 3972 के हेण्ड ब्रेक के पास रखने से उक्त कार के उक्त स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से पूर्व कि भांति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर कपडे की चिन्दी से उक्त कार के हेण्ड ब्रेक के पास जहॉ पर रिश्वत राशि रखी गयी है जहॉ से रगडकर उक्त चिन्दी को सोडियम कार्बोनेट के घोल मे डूबोकर धुलवाया जाने पर धोवन का रंग गुलाबी होने से दो कांच की शीशीयों मे आधा आधा भर कर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क DC–1, DC–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। उक्त चिंदी को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में रख कर शील्ड मोहर कर मार्क DC अंकित की सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया।

आरोपी श्री मोनू अली द्वारा रिश्वत राशि अपनी ब्रिजा कार नम्बर आरजे 45 सीएफ 3972 में प्राप्त की जाने से उक्त कार को जरिये फर्द जप्ती पृथक से बतौर वजह सबूत किया गया । इसके पश्चात परिवादी श्री किशोर कुमार की ओर ईशारा कर मन् पुलिस निरीक्षक ने किशोर से असलम के बारे में पूछा गया तो श्री किशोर कुमार ने असलम की ओर ईशारा कर बताया कि मै इससे कभी नहीं मिला हू तथा मेरी इससे कोई वार्ता रिश्वत से सम्बन्धित नहीं हुयी है ना ही मुझे कोई कॉल किया गया है तथा अंकिता माथुर द्वारा भी मुझे उक्त असलम के बारे में नहीं बताया गया है। श्री असलम से श्री किशोर कुमार को जानने के बारे मे पूछा गया तो कोई जान पहचान नहीं होना बताया गया।

श्री असलम आज दिनांक को श्री मोनू अली के साथ उसकी कार में सवार होकर सुश्री अंकिता माथुर से साथ मिलने जाना व रिश्वत राशि के पैकिट की जानकारी होना तथा रिश्वत राशि का पार्सल/पैकिट श्री मोनू अली द्वारा प्राप्त किया जाने से रिश्वत राशि प्राप्ति की जानकारी होने से प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रतीत होती है।

इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री मोनू अली द्वारा प्राप्त की गयी रिश्वत राशि गवाह श्री श्याम खण्डेलवाल कनिष्ठ सहायक के पास रखी गयी रिश्वत राशि का मिलान उक्त दोनो

स्वतंत्र गवाहान् से पूर्व मे बनायी गयी फर्द पेश कशी से मिलान करवाया गया तो उक्त रिश्वत राशि फर्द पेशकशी अनुसार सही पाये गये।

इसके पश्चात आरोपी श्री मोनू अली मध्यस्थ प्राईवेट व्यक्ति से पूछा गया कि आप द्वारा जो रिश्वत राशि 3 लाख रूपये क्या सुश्री अंकिता माथुर के लिये प्राप्त की गयी है जिस पर श्री मोनू अली ने बताया कि मैं सुश्री अंकिता माथुर से आपकी वार्ता करवा दूगा मैने उनके कहने पर ही उक्त पैकिट लिया है। इसके पश्चात श्री मोनू अली मध्यस्थ ने बताया कि मुझे रिश्वत राशि के बारे में जानकारी नही थी मुझे पार्सल के लिये बोला गया था मैं उक्त राशि सुश्री अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक को दे सकता हूँ। इसके पश्चात समय 5.41 पर श्री मोनू अली के वाट्सएप नम्बर से सुश्री अंकिता माथुर के वाट्सएप नम्बर वार्ता करवायी जाने पर श्री मोनू अली ने कहॉ कि " मैडम वो लिया अब क्या करना है" "मैं दुकान जा रहा हूँ" जिस पर सुश्री अंकिता माथुर द्वारा कहॉ कि "तो किते बजे तक आओगे नौ, दस" " ठीक है फोन कर देना"। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री किशोर कुमार की निशादेही से घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके काफी देर पश्चात आरोपी मोनू अली के वाट्सएप नम्बर से सुश्री अंकिता माथुर के मोबाईल नम्बर पर समय 7.34 पीएम पर वाट्सएप कॉल करवाया गया जिस पर मोनू अली ने बोला " मैं अभी गलता गेट क्रोस कर रहा हूँ कहां आउं आदेश" इस पर बाते करते हुये अंकिता माथुर ने बोला कि " घर ही आओगे यार" अकैले ही हो ना" सुश्री अंकिता माथुर द्वारा अकेले होने के बारे में पूछा गया कि तथा घर बुलाया गया उक्त वार्ता को लॉउडस्पीकर ऑन कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया।

इसके पश्चात मौके से समय 07.37 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय सरकारी वाहन मय गवाहान मय चालक, मय आरोपी श्री मोनू अली की ब्रिजा कार मय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उनके सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर दाना पानी के पास होटल रिजेन्ट के बाहर समय करीब 8.10 पीएम पर पहुँचकर आरोपी श्री मोनू अली को आरोपिया सुश्री अंकिता माथुर को उसकी मांग के अनुशरण में 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि सुपुर्द करने के लिये सुपुर्द की जाकर निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर व मोबाईल पर मिस्डकॉल करने का ईशारा करने की हिदायत देकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात आरोपी श्री मोनू अली की ब्रिजा कार में श्री मेहर सिंह कानि. को पीछे लेटाकर आरोपियॉ को रिश्वत राशि देने के लिये रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह के अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये निर्धारित ईशारे के ईन्तजार में मुकीम रहे। तत्पश्चात आरोपी श्री मोनू अली मकान नम्बर 138, लक्ष्मण कॉलोनी जनपथ श्यामनगर पुलिस थाना श्यामनगर जयपुर में प्रवेश हुँआ व तथा कुछ ही समय के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक कें पास आकर बताया कि सुश्री अंकिता माथुर पार्क में गयी हुयी है जो घर के पास ही है तथा मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया गया। तत्पश्चात समय 8.13 पीएम पर मोनू अली की वार्ता सुश्री अंकिता माथुर से जरिये वाट्सएप करवायी जाने पर सुश्री अंकिता माथुर द्वारा घर के पास ही पार्क पर बुलाया गया उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इसके पश्चात आरोपिया सुश्री अंकिता माथुर द्वारा अपने मोबाईल से समय 8.19 पर श्री मोनू अली को लोकेशन भेजी गयी। इसके पश्चात आरोपी श्री मोनू अली को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालूकर सुपुर्द किया जाकर आरोपियॉ सुश्री अंकिता माथुर को 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि देने के लिये सार्वजनिक सुभाष पार्क होटल पार्क रिजेन्ट के पास जन पथ श्याम नगर जयपुर रवाना किया जाकर सभी अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये आरोपी श्री मोनू अली के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम रहे।

समय करीब 8.25 पीएम पर आरोपी श्री मोनू अली ने रिश्वत राशि 3 लाख रूपये की थैली आरोपियॉ अंकिता माथुर को सुपुर्द कर निर्धारित ईशारा किया गया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के साथ जाकर देखा कि पार्क में एक महिला अपने बाये हाथ में रिश्वत राशि की नोटो की थैली लेकर अपने सीने से चिपकाये हुयी खडी थी तथा उसके पास ही श्री

मोनू अली खडा। मन् पुलिस निरीक्षक ने मोनू अली से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया अपने पास सुरक्षित रखा गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त लॉअर टीशर्ट पहने हुयी महिला को अपना विभागीय परिचय पत्र दिखाकर आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुये अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए नाम पता पूछा तो उसने अपना सुश्री अंकिता माथुर पुत्री श्री चन्द्रशेखर माथुर उम्र 35 साल निवासी मकान नम्बर 138, लक्ष्मण कॉलोनी जनपथ श्यामनगर पुलिस थाना श्यामनगर जयपुर हाल आबकारी निरीक्षक, जयपुर पूर्व, आबकारी विभाग जयपुर होना बताया गया।

आरोपियॉ सुश्री अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक द्वारा 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने से आरोपियॉ द्वारा अपने बाये हाथ से सीने के पास उक्त रिश्वत राशि चिपकाये होने से मन् पुलिस निरीक्षक ने हमरा जाप्ते मे से साफ पानी मंगवाकर स्वतंत्र गवाहान् के समक्ष ट्रेप बॉक्स मे से दो साफ कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर कांच के गिलास मे पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट की दो चम्मच डालकर मिश्रण तैयार कर उपस्थित गवाहान्, परिवादी व हमराहियान को दिखाया तो रंगहीन होना बताया व स्वीकार किया। उक्त एक गिलास मे सुश्री अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक के दाहिने हाथ के अंगूठे व अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन के मिश्रण का हल्का गुलाबी हो गया, जिसको दो कांच की सीसीयों मे आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क ARH–1, ARH–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया व इसी प्रकार दूसरे कांच के पानी के गिलास मे उक्त प्रक्रिया अपनाई जाकर सुश्री अंकिता माथुर के बाये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को गिलास मे डुबोकर धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो कांच की सीसीयों में आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क ALH–1, ALH–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ए.सी.बी. लिये गये।

आरोपियॉ सुश्री अंकिता माथुर के कब्जे से बरामद शुदा रिश्वत राशि गवाह श्री श्याम खण्डेलवाल के पास सुरक्षित रखवायी गयी।

मौके पर पार्क में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण व अन्धेरा होने व बरसात का समय होने से बरसाती जीव जन्तु का खतरा होने से मौके पर समुचित संसाधन उपलब्ध नही होने से मौके से डिटेन शुदा आरोपीगण श्री मोनू अली, श्री असलम व सुश्री अंकिता माथुर मय जप्त शुदा आर्टीकल्स, बरामद शुदा रिश्वत राशि के रवाना होकर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये ।

इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री किशोर कुमार की ओर ईशारा कर आरोपियॉ सुश्री अंकिता माथुर से पूछा गया कि आप द्वारा परिवादी श्री किशोर कुमार के भाई के नाम की शराब की दुकान को बेरोकटोक चलाने के लिये 10 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर दिनांक 31.08.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 8 लाख रूपये में सहमति जताकर नेगोशियसन नहीं करने के लिये कहकर प्रथम किश्त में 3 लाख रूपये की मांग की गयी एवं आज दिनांक 03.08.2023 को रिश्वत राशि लेने के लिये आप द्वारा श्री मोनू अली मध्यस्थ प्राईवेट व्यक्ति व श्री असलम को भेजा गया एवं श्री मोनू अली मध्यस्थ प्राईवेट व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने से आप द्वारा अपनी मांग के अनुशरण में प्राप्त की गयी। इस पर सुश्री अंकिता माथुर द्वारा कहॉ गया कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है मेरे पास श्री किशोर कुमार आया था जिसने मुझे कहॉ कि मुझे शराब की दुकान क्रय करनी है मेरे पास 10 लाख रूपये कम पड रहे मुझे पार्टी को पैसे देने है आप मुझे उधार दे दे इस पर मेरे द्वारा मेरे परिचितो से उधार राशि लेकर 8 लाख रूपये श्री किशोर कुमार को उधार दिये गये थे। श्री किशोर कुमार ने जिनसे दुकान क्रय की गयी थी उनको भी पैसे नहीं दे रहे थे उनकी मध्यस्था मै कर रही थी।

इस पर उपस्थित परिवादी श्री किशोर कुमार ने सुश्री अंकिता माथुर की ईशारा कर बताया कि "सुश्री अंकिता माथुर झूठ बोल रही है मेरी एक शराब की दुकान पाली के ढाबा के पास ट्रांसपोर्ट

नगर पर स्थित है। उक्त दुकान श्री भागचंद शाहू को आवंटित हुयी थी जिसका दिनांक 08.02.2023 को निधन होने पर उनकी पत्नि श्रीमती नम्रता देवी शाहू द्वारा उक्त दुकान का ईकरारनामा मेरे भाई श्री गोविन्द के नाम पर दिया गया था जिस पर मैं किशोर कुमार उक्त दुकान की देखरेख संचालन करता हूँ उक्त दुकान की सर्किल ऑफिसर आबकारी विभाग की श्रीमती अंकिता माथुर है। वह आये दिन दुकान पर आकर चैंकिग के बाहाने नाजायज परेशान करती है। वह कहती है मेरे एरिया में दुकान बिना रोक टॉक के चलानी है तो मुझे 10 लाख रूपये दो व बिना रोक टोक के दुकान चलाओ। दिनांक 31.07.2023 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाने पर अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक जयपुर पूर्व द्वारा मेरे से आमने सामने हुयी वार्ता में पूर्व में मांगी गयी 10 लाख रूपये की रिश्वत राशि के अनुशरण में 8 लाख रूपये देने की सहमति दी गयी तथा सुश्री अंकिता माथुर द्वारा नेगोशियसन नहीं करने के लिये कहॉ गया सुश्री अंकिता माथुर को मैने उनकी मांग के अनुसार टुकडो में किश्त के रूप में रिश्वत राशि देने के लिये कहॉ तो सुश्री अंकिता माथुर ने पूरी रिश्वत राशि की मांग की गयी व लेकिन मेरे द्वारा प्रार्थना करने प्रथम किश्त के 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि देने के लिये कहॉ तो सुश्री अंकिता माथुर ने उक्त राशि दिनांक 01.08.2023 को ही लेकर बुलाया गया है तथा सुश्री अंकिता माथुर ने मेरे से कहॉ कि किसने कहॉ कि 8 लाख रूपये में डील पक्की हो गयी है नेगोशियसन मत करो। दिनांक 01.08.2023 को सुश्री अंकिता माथुर द्वारा मेरे से कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की गयी। आज दिनांक 03.08.2023 को सुश्री अंकिता माथुर द्वारा मेरे से अपनी मांग के अनुशरण में रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये मुझे वाट्सएप कॉल किये गये तथा आपके कार्यालय पर आकर मेरे व सुश्री अंकिता माथुर के मध्य हुयी वार्ता को आप द्वारा रिकॉर्ड किया गया था तथा मुझे अंकिता माथुर द्वारा श्री मोनू अली के नम्बर भेजे गये तथा मोनू अली से मेरी वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया। मेरे से श्री मोनू अली मध्यस्थ प्राईवेट व्यक्ति ने सुश्री अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक के लिये प्रथम किश्त के 3 लाख रूपये प्राप्त किये गये व उक्त राशि श्री मोनू अली से बरामद हुयी तथा मोनू अली द्वारा उक्त राशि सुश्री अंकिता माथुर को सुपुर्द की गयी।''

इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपियॉ सुश्री अंकिता माथुर द्वारा प्राप्त की गयी रिश्वत राशि गवाह श्री श्याम खण्डेलवाल कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवायी गयी थी। रिश्वत राशि का मिलान उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान् से पूर्व मे बनायी गयी फर्द पेश कशी से मिलान करवाया गया तो उक्त रिश्वत राशि फर्द पेशकशी अनुसार सही पायी गयी। उक्त नोटो को एक प्लास्टिक के कवर मे रखकर शील्ड मोहर कर मार्क बी अंकित कर सम्बिधतो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता परिवादी श्री किशोर कुमार व श्री मोनू अली तथा सुश्री अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक के मध्य होना पायी गयी। जिसकी फर्द अनुलिपी पृथक से तैयार की गयी।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि परिवादी श्री किशोर कुमार पुत्र श्री चतुरमल जाति सिंधी उम्र 35 वर्ष निवासी प्लाट नम्बर 10,जयसिंहपुरा खोर दिल्ली रोड जयपुर के भाई श्री गोविन्द के नाम से एग्रीमेंट शुदा एक शराब की दुकान पाली के ढाबा के पास ट्रांसपोर्ट नगर पर स्थित उक्त दुकान श्री भागचंद शाहू को आवंटित हुयी थी जिसका दिनांक 08.02.2023 को निधन होने पर उनकी पत्नि श्रीमती नम्रता देवी शाहू द्वारा उक्त दुकान का ईकरारनामा परिवादी के भाई श्री गोविन्द के नाम पर किया गया था तथा परिवादी श्री किशोर कुमार द्वारा उक्त दुकान की देखरेख संचालन किया जा रहा है। उक्त दुकान की सर्किल ऑफिसर आबकारी विभाग की श्रीमती अंकिता माथुर द्वारा आये दिन दुकान पर आकर चैंकिग के बाहाने नाजायज परेशान कर स्वयं के एरिया में दुकान को बिना रोक टॉक के चलाने के लिये परिवादी से 10 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गयी।

दिनांक 31.07.2023 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाने पर श्रीमती अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक जयपुर पूर्व द्वारा परिवादी से आमने सामने हुयी वार्ता में पूर्व में मांगी गयी

10 लाख रूपये की रिश्वत राशि के अनुशरण में 8 लाख रूपये देने की सहमति दी गयी तथा सुश्री अंकिता माथुर द्वारा नेगोशियसन नहीं करने के लिये कहॉ गया सुश्री अंकिता माथुर को परिवादी ने मांग के अनुसार टुकडो में किश्त के रूप में रिश्वत राशि देने के लिये कहॉ तो सुश्री अंकिता माथुर द्वारा पूरी रिश्वत राशि की मांग की गयी व लेकिन परिवादी द्वारा प्रार्थना करने पर प्रथम किश्त के 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि देने के लिये कहॉ तो सुश्री अंकिता माथुर ने उक्त राशि दिनांक 01.08.2023 को लेकर बुलाया गया है।

सुश्री अंकिता माथुर आबकारी निरीक्षक जयपुर पूर्व एक लोकसेवक द्वारा अपनी मांग के अनुशरण में अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग करते हुए आरोपी श्री मोनू अली अपने मध्यस्थ प्राईवेट व्यक्ति व श्री असलम को परिवादी श्री किशोर कुमार की दुकान के पास रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये भेजकर रिश्वत राशि देने के लिये वाट्सअप कॉल करना एवं सुश्री अंकिता माथुर द्वारा अपनी मांग के अनुशरण में 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि परिवादी श्री किशोर कुमार से श्री मोनू अली को दिलवाये जाने से रिश्वत राशि हूबहू बरामद होना व आरोपी श्री मोनू के दोनो हाथो के धोवण व कार के हेण्ड ब्रेक के स्थान जहॉ पर रिश्वत राशि रखी गयी के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया।

श्री मोनू अली से सुश्री अंकिता माथुर द्वारा अपनी मांग के अनुशरण में रिश्वत राशि लेकर अपने घर पर बुलाना व घर पर नही मिलने पर जरिये वाट्सएप कॉल पार्क मे बुलाना व लोकेशन भेजना व अपने बाये हाथ से रिश्वत राशि प्राप्त करने से आरोपियॉ सुश्री अंकिता माथुर के कब्जे से रिश्वत राशि हूबहू बरामद होना व धोवन का रंग गुलाबी होना पाया जाने से आरोपिया सुश्री अंकिता माथुर पुत्री श्री चन्द्रशेखर माथुर उम्र 35 वर्ष पेशा नौकरी निवासी मकान नम्बर 138,लक्ष्मण कॉलोनी जनपथ श्यामनगर पुलिस थाना श्यामनगर जयपुर द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग करते हुए परिवादी श्री किशोर कुमार के भाई के नाम से आवटित दुकान को बेरोकटोक संचालन के लिये 10 लाख रूपये रिश्वत राशि की अनुचित मांग कर सत्यापन के दौरान 8 लाख रूपये मे सहमति जारी कर नेगोशियसन नही करने की कहकर प्रथम किश्त में रिश्वत राशि 3 लाख रूपये अनुचित राशि आज दिनांक को अपने मध्यस्थ श्री मोनू सुवालका को परिवादी की दुकान के आसपास भिजवाकर परिवादी श्री किशोर कुमार से सुश्री अंकिता माथुर के कहेनुसार श्री मोनू सुवालका द्वारा 3 लाख रूपये प्राप्त करना तथा अंकिता माथुर द्वारा उक्त राशि अपने पास रहने दिया जाकर शाम के समय देने के लिये कहने पर श्री मोनू सुवालका से तीन लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त की जाने से श्री मोनू सुवालका,श्री असलम व सुश्री अंकिता माथुर को डिटेन किया गया। सुश्री अंकिता माथुर के पास परिवादी किशोर कुमार के भाई के शराब की दुकान के जोन पूर्व का चार्ज होने से कार्य लम्बित होने की पुष्ठि होती है। सुश्री अंकिता माथुर एक लोकसेवक होने से 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त की जाने से संज्ञेय व अजामनतीय अपराध कारित किया गया है समुचित अन्वेषण अग्रिम कार्यवाही के लिये इस कार्यालय के पत्रांक स्पेशल–01 दिनांक 03.08.2023 से प्रार्थना पत्र श्रीमान महानगर मजिस्ट्रेट कम संख्या–07 के नाम प्रार्थना पत्र भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 46(4) के तहत गिरफ्तार किये जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिये तैयार किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री नरेन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय सुश्री अंकिता माथुर मय महिला कानि. मय स्टाफ मय सरकारी वाहन मय चालक के निवास स्थान पर पहुॅचकर लिखित में गिरफ्तार करने की अनुमति प्राप्त की गयी।

इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपीगण को 1–श्री मोनू अली पुत्र श्री सिराजुदीन जाति कलाल उम्र 32 साल निवासी डूडलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल निवासी प्लाट नम्बर 36 पर्वतीय कॉलोनी शास्त्रीनगर जयपुर 2–श्री असलम पुत्र श्री अनवर जाति कलाल उम्र 34 साल निवासी डूंडलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल किरायेदार प्लाट नम्बर 901 रामनगर पुलिस थाना भट्टा बस्ती जयपुर 3–सुश्री अंकिता माथुर पुत्री श्री चन्द्रशेखर माथुर उम्र 35 साल निवासी मकान नम्बर 138,लक्ष्मण कॉलोनी जनपथ श्यामनगर पुलिस थाना श्यामनगर जयपुर के

विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व यथा संशोधित 2018 की धारा 7,7ए, पीसी एक्ट व 120 बी भादस अपराध धारा प्रमाणित पाया जाने से जरिये फर्द–पृथक–पृथक बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया।

आरोपीगण श्री मोनू अली व सुश्री अंकिता माथुर के मोबाईल फोन पृथक–पृथक बतौर वजह सबूत जप्त किये गये। रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता के दौरान हुयी वार्ता की फर्द रूपान्तरण वार्ता तैयार की जाकर सीडीयॉ शील्ड मोहर की गयी। आरोपीगण श्री मोनू अली व सुश्री अंकिता माथुर की आवाज का नमूना के सम्बन्ध में पृथक–पृथक फर्द प्राप्ति आवाज नमूना मुर्तिब किया गयां फर्द पर आरोपीगण द्वारा लिखित मे अपनी आवाज का नमूना देने से इंकार किया गया है। शील्ड शुदा आर्टीकल्स को जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल,रिश्वत राशि लेन देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपिया सुश्री अंकिता माथुर पुत्री श्री चन्द्रशेखर माथुर उम्र 35 वर्ष पेशा नौकरी निवासी मकान नम्बर 138,लक्ष्मण कॉलोनी जनपथ श्यामनगर पुलिस थाना श्यामनगर जयपुर द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग करते हुए परिवादी श्री किशोर कुमार के भाई के नाम से ईकरारनामाशुदा दुकान को बेरोकटोक संचालन के लिये 10 लाख रूपये रिश्वत राशि की अनुचित मांग कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 31.07.2023 को 8 लाख रूपये मे सहमति जारी कर नेगोशियसन नही करने की कहकर प्रथम किश्त में रिश्वत राशि 3 लाख रूपये व द्वितीय किश्त में 5 लाख रूपये की माग की जाकर अपनी मांग के अनुशरण में दिनांक 03.08.2023 को अपने मध्यस्थ श्री मोनू अली प्राईवेट व्यक्ति व श्री असलम को उनकी ब्रिजा कार से परिवादी की दुकान के आसपास भिजवाकर परिवादी श्री किशोर कुमार से सुश्री अंकिता माथुर के कहेनुसार श्री मोनू अली द्वारा 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा रिश्वत राशि प्राप्त करने की जानकारी दोनो को होना तथा श्री मोनू अली व अंकिता माथुर के मध्य हुयी वार्ता के कम में सुश्री अंकिता माथुर द्वारा श्री मोनू अली को रिश्वत राशि अपने पास रहने दिया जाकर शाम के समय देने के लिये कहने पर श्री मोनू अली को राशि लेकर अपने घर बुलाने व घर पर नहीं मिलने से जरिये वाट्सएप कॉल गार्डन में मिलने के लिये बुलाना व अपनी मांग के अनुशरण मे श्री मोनू अली से तीन लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त की जाने से श्री मोनू अली,श्री असलम व सुश्री अंकिता माथुर द्वारा आपसी मिलीभगत व षडयंत्रपूर्वक रिश्व राशी बरामद होना तथा धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया।

अतः आरोपीगण 1– सुश्री अंकिता माथुर पुत्री श्री चन्द्रशेखर माथुर उम्र 35 साल निवासी मकान नम्बर 138,लक्ष्मण कॉलोनी जनपथ श्यामनगर पुलिस थाना श्यामनगर जयपुर हाल हाल आबकारी निरीक्षक जयपुर पूर्व, आबकारी विभाग जयपुर 2–श्री असलम पुत्र श्री अनवर जाति कलाल उम्र 34 साल निवासी डूंडलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल किरायेदार प्लाट नम्बर 901 रामनगर पुलिस थाना भट्टा बस्ती जयपुर 3– श्री मोनू अली पुत्र श्री सिराजुदीन जाति कलाल उम्र 32 साल निवासी डूडलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल निवासी प्लाट नम्बर 36 पर्वतीय कॉलोनी शास्त्रीनगर जयपुर के विरूद्ध प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा (संशोधित) धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भा.द.स का अपराध कारित करना पाया जाने से उपरोक्त के विरूद्व विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(अर्चना मीणा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
एस.यू.–1 जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अर्चना मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1-सुश्री अंकिता माथुर पुत्री श्री चन्द्रशेखर माथुर, हाल आबकारी निरीक्षक, जयपुर पूर्व, आबकारी विभाग, जयपुर 2-श्री असलम पुत्र श्री अनवर, निवासी डूंडलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल किरायेदार प्लाट नम्बर 901 रामनगर पुलिस थाना भट्टा बस्ती जयपुर एवं 3-श्री मोनू अली पुत्र श्री सिराजुदीन, निवासी डूडलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू हाल निवासी प्लाट नम्बर 36 पर्वतीय कॉलोनी शास्त्रीनगर जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 212/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक : 2506-09 दिनांक 5.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, एसयू-। जयपुर।

5.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।